आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

16/06/2024

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

विविध वाद संख्या 54/2019–2020

(भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

आदेश

दाता शिव रतन यादव, पिता–भुआवंल यादव, ग्राम–पहलेजा (खाजपुरा), थाना–मेहन्दिया, अंचल–कलेर, जिला–अरवल से संबंधित्त कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
211	—	02 कठा	उतर–देव नाथ सिंह दक्षिण–पैन पूरब–बउध रजवार पश्चिम–देव करन यादव

मौजा–पहलेजा टोला शिवपुर, थाना नं०–159, थाना– मेहन्दिया, अंचल–कलेर, जिला–अरवल

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 840 दिनांक 31.12.2020 से अंचल अधिकारी, कलेर के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं प्रस्तावित भूमि की जॉच प्रतिवेदन मॉग की गई। दाता के तरफ से भतीजा राम स्वरूप यादव, पिता–श्री रामवृक्ष यादव न्यायालय में उपस्थित हुए। राम स्वरूप यादव ने कहा कि रामवृक्ष यादव पॉच भाई थे जिसमें एक शिव रतन यादव थे, जिनके एक पुत्र राम प्रवेश यादव हैं मुझे मालूम नहीं है कि भूदान यज्ञ–दान पत्र में भूमि दान दिया हुआ है। पुनः भूदाता के पुत्र राम प्रवेश यादव न्यायालय में उपस्थित हुए और समय की मॉग किया। इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति दर्ज नहीं किया।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, कलेर का जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। भूदान यज्ञ–दान पत्र पर भूदाता का हस्ताक्षर एवं गवाह भुआवल सिंह और मधुसुदन प्रसाद का हस्ताक्षर अंकित है। भूदाता द्वारा दिनांक 14.02.1954 को भूदान दान पत्र के आलोक में भूमि दान में दिया गया हैं। अंचल अधिकारी, कलेर ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान पटा हुआ है। भूमि रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ आम गैरमजरूआ मालिक, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, कब्रिस्तान, चिरारी आदि से मुक्त है।

भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) का पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 में अंकित है कि वैसे दान पत्र जिसमें खाता संख्या मौजा एवं रकवा अंकित है, लेकिन खेसरा संख्या अंकित नहीं है, वैसे दान पत्रों की संपुष्टि की जायेगी क्योकि संपुष्टि के उपरान्त भूमि को चिन्हित किया जा सकता है।

अतः अंचल अधिकारी, कलेर के जॉच प्रतिवेदन एवं भूदान भूमि वितरण जॉच आयोग (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) बिहार सरकार के पत्रांक 1050 दिनांक 28.12.2020 के आलोक में वर्णित भूमि की संपुष्टि की जाती है। इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं अंचल अधिकारी कलेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित
16/06/2024
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

16/06/2024
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।